सम्पादक के नाम

बारदोली की महिलाएं समस्त जनजातियों की ओर से आपको सरदार की उपाधि देती हैं, आज से आप 'सरदार' हैं- महात्मा गांधी (1928)

जब बात पटेल की मूर्ती पर केंद्रित हो रही हो तो पटेल के कार्यों पर बात करना कहीं अधिक प्रासंगिक है । जहाँ आज मोदीजी ने पटेल की मूर्ती की स्थापना के लिए जनजातियों की जमीन छीन ली और उनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है वहीं पटेल न केवल किसान पुत्र थे बल्कि किसानों और जनजातीय किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष के प्रमुख नेता भी रहे । सरदार पटेल खेड़ा सत्याग्रह (1918) में गांधीजी के साथ रहकर किसान आंदोलन में सक्रिय रहे तो बारदोली सत्याग्रह (1928) में किसानों ने अपने आंदोलन की बागडोर सरदार पटेल को ही सौंपी । बारदोली सूरत जिले में स्थित है जहाँ के किसानों से अंग्रेज हुकूमत अधिक लगान (30 प्रतिशत) बढाकर वसूल रही थी जिसके खिलाफ किसान आंदोलनरत थे क्योंकि वे लगान देने की स्थिति में नहीं थे और कपास की कीमत गिर गयी थी । लम्बे आंदोलन के बाद भी अंग्रेजी सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही थी तब मेहता बन्धुओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बल्लभभाई पटेल से अनुरोध किया ।

बारदोली में उच्च जातियों के किसानों के साथ ही जनजातीय लोगों जिन्हें "कालिपराज" कहा जाता था , ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया । जनजातियों की स्थिति हमेशा से ही बहुत दयनीय रही है । यहाँ के जनजातियों को जिन्हें "कालिपराज" (काले लोग) कहा जाता था, उच्च जातियों के यहाँ "हाली पद्धति" के तहत बेगार करना पड़ता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था । जनजातियों को थोड़ा सा भोजन और तन ढकने भर का कपड़ा दिया जाता था । पटेल ने इस व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन किया और सदियों से शोषित जनजातीय लोगों को इस प्रथा से निजात दिलाई। अंग्रेज सरकार को इस आंदोलन से झुकना पड़ा और बढ़ी हुई लगान दर को वापस लेना पड़ा । यह आंदोलन पूर्णतया सफल रहा । जनजातियों को इस तरह की शोषण आधारित प्रथा से आजादी दिलाने वाले पटेल को बारदोली की महिलाओं ने अपना सरदार घोषित किया और "सरदार" की उपाधि प्रदान की । जनजातियों में सरदार का पद उनके मुखिया का पद होता है जो उनका नेतृत्व करता है । जबकि , आज बीजेपी की सरकारें चाहे गुजरात हो मध्यप्रदेश या छतीसगढ़ किसानों से उनकी जमीन छीनकर अपने मित्र उद्योगपतियों को सौंप रही है । मध्यप्रदेश के किसान और गुजरात के किसान गले तक मिट्टी में गढ़कर विरोध कर रहे हैं मगर अंग्रेजी सरकार से भी कहीं अधिक निरंकुश और असंवेदनशील भाजपाई सरकारें किसानों की मांगें नहीं मान रहीं है बल्कि पुलिस द्वारा गोली चलवाकर किसानों की हत्या कर रही है ।

भाषणों में कांग्रेस नेताओं से " शर्म करो , शर्म करो" का नारा लगवाने वाले मोदीजी शर्म तो आपको और आपकी सरकार को भी आनी चाहिए जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से कुचल रही हैं । महाराष्ट्र में आपकी सरकार है जहाँ हर वर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं बल्कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में आपकी तथाकथित मजबूत सरकार है , वह किसानों के लिए क्या कर रही है ? पूरे देश में प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वाले किसान आपको नहीं दिखते हैं क्योंकि आपकी आंखें सत्ता और ताकत की चकाचौंध में बंद हैं । किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आपके नेता इसे "फैशन" बता रहे हैं । शर्म करो मोदीजी , शर्म करो ! काश यह फैशन हमारे नेताओं को भी लग जाये जो देश को लूट रहे हैं ।

हम ये नहीं कहते कि विकास के कार्य न किये जाएं , उद्योग न लगाएं जाएं लेकिन किसानों की जमीन मनमाने तरीके से , पुलिस के बल पर छीनकर अपने मित्र उद्योगपतियों को औने -- पौने दाम में क्यों दिया जा रहा है ? किसानों को जमीन का मार्केट मूल्य क्यों नहीं दिया जाता है और जब किसान अपनी जमीन देने को राजी नहीं तो सत्ता के बल पर उनसे उनकी जमीन क्यों छीनी जा रही है ?

गांधीजी, सरदार पटेल , डॉ. अम्बेडकर या किसी भी अन्य राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों ने यह तो कभी भी नहीं सोचा था कि जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए वे लोग पूरी जिंदगी अंग्रेजों से लड़ते रहे, उसी राष्ट्र के नागरिकों पर उसकी "अपनी सरकारें" इतना जुल्म करेंगी , हमारे नेता पूंजीपतियों की गोद में बैठकर अपने ही नागरिकों पर गोलियाँ चलवाएँगे .....

सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि क्योंकि हम उनके सपनों का भारत बना सके हैं या बना रहे हैं ..... ?????????

- कमल कुमार

रोडवेज हड़ताल और सरकार की कुचाल...

हड़ताल के दौरान आज रोड वेज में सफर किया तो चालक, परिचालक और लोगों के अनुभव जाने। एक अजीब सी स्थिति सामने आई जिसमें बेरोजगारों की मजबूरी व सरकार की घटिया चालें स्पष्ट थी। कैथल से 16 सवारियों को लेकर चली बस में हिसार तक सिर्फ 7 सवारी बची।

ड्राइवर ने कई बार बस को गलत रास्तों पर मोड़ दिया इस दौरान मैंने रास्ता बताने में सहयोग भी किया।

कंडक्टर को किराया व स्टोपिज नहीं मालूम थे हम दो लोगों ने सब समझाया। इस सारी स्थिति में कंडक्टर ड्राइवर काफी परेशान नजर आए। ड्राइवर ने कहा कि वह तो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है, सरकारी नौकरी के चक्कर में आ तो गया लेकिन बहुत परेशान है, सरकार ने पेन की जगह स्टेरिंग थमा दिया। अब डर यह है कि प्राइवेट तो गई ही, सरकारी भी जाएगी। इसमें मात्र तीन महीने का करार है।

कंडक्टर ने कहा की उसके पापा खुद हड़ताल में शामिल हैं, वो शिक्षक हैं और भाजपा के समर्थक भी। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और खेत में काम करता हूँ, सीधा खेत से टिकट काटने भेज दिया और टिकट है भी नहीं (वह रसीद काट रहा था जो थोड़े दिन बाद हरियाणा में खट्टर की भी कटने वाली है)। दोनों ने कहा कि हम डर रहे हैं और आज के बाद बस नहीं चलाना चाहते क्योंकि रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन जीएम हमें हाथ जोड़ जोड़ कर रख रहा है।

सबसे खतरनाक बात यह रही कि बस सब जगह बाईपास पर आई। इस पर जब मैंने कहा कि 15 सवारियों पर बस चलाकर सरकारी पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, बस अड्डों पर जाकर सवारी क्यों नहीं लेते। उन्होंने कहा हमें सख्त आदेश है कि बस अड्डों पर नहीं जाना। असल में हम जनता की भलाई के लिए नहीं हड़ताल को तोड़ने के लिए भर्ती किए गए हैं। लेकिन अंततः हमें भी यूनियन में शामिल होकर पक्की नौकरी की मांग करनी है।

- निर्मल बंजारन

अवैध फैक्ट्री में दो मजदूरों की मौत, मुकदमा दर्ज, मालिक फरार

ग्राउंड जीरो से इन्कलाबी मज़दूर केन्द्र की रिपोर्ट

फ़रीदाबाद, 30 अक्टूबर कृष्णा कॉलोनी गली नम्बर-6 में स्थित गैस कम्पनी ऑर्गेनिएयर गैसेज प्रा.लि.में आक्सीजन गैस भरते समय सिलेन्डर फट गया, जिसकी चपेट में 5 मज़दूर आ गये। दो मजदूरों की मौत हो गयी। ब्लास्ट के साथ ही आग लग गयी थी तथा कम्पनी में धुआं ही धुआं हो गया था। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर लोगों ने एक कार वाले की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने सिलेंडर फ़टने के कारणों पर चुप्पी साध ली और कहा कि जांच के बाद पता चलेगा। दो मज़दूरों की मौत के बाद भी पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग दुर्घटना के लिये जिम्मेदार मालिकों के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नज़र आये।

हम, इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के कार्यकर्ता 31 अक्तूबर की तड़के सुबह घटना स्थल कम्पनी गेट पर गये थे। वहां पुलिस का जमावड़ा लगा था। पुलिस भयभीत थी कि मज़दूरों का गुस्सा भड़क न जाये। हमने गेट पर मौजूद पुलिस से जानना चाहा कि घायल मज़दूर कहां भर्ती हैं तो पुलिस ने बताने से मना कर दिया। जैसे-तैसे पता चला कि मारे गये मज़दूरों की लाश को बीके अस्पताल के शव गृह में पहुंचाया गया है। घायलों को भी बीके अस्पताल ही पहुंचाया गया है। हम लोग पता लगाने के लिये कम्पनी से बीके अस्पताल गये । शवगृह में पता करने पर मालूम हुआ कि गैस कम्पनी में दो मज़दूरों की लाश वहां पर है। फ़िर हम बीके अस्पताल की इमरजेंसी में गये वहां पर रजिस्टर खंगाला गया तो किसी घायल मज़दूर की वहां एंट्री नहीं थी।

हम लोग पुन: शाम साढे 5 बजे कम्पनी गेट पर गये। एक पुलिस वाले ने मुश्किल से बताया कि थाना सेक्टर 58 है तथा एएसआई विकास मामले की जांच कर रहे हैं। हम लोग आईओ विकास को ढूंढते हुये सेक्टर 58 थाना पर गये। जब हम लोग आईओ के कमरे में दाखिल हुये तो वहां विकास के साथ दो कास्टेबल और बैठे थे। हमने घायलों के बारे में पूछा तो एक कांस्टेबल ने रोब गांठते हुये हमसे ही उल्टे पुल्टे सवाल करने लगा। जैसे- आप कौन हैं? हमने बताया कि हम इंकलाबी मज़दूर केन्द्र से हैं। आपका संगठन रजिस्टर्ड है? हमने बताया कि नहीं। आप क्यों जानना चाहते हो? हमने कहा कि हम मज़दूर संगठन है और हम ऐसे केस में मज़दूरों की मदद करते हैं। क्या मदद करोंगे? चेक देना है तो दे दो हम पहुंचा देंगे। अपनी बात को बढाते हुये आईओ विकास के साथ बैठा मोटा थुल-थुल स्टार वाले पुलिस अधिकारी ने हमारे बारे में कहा कि ये सब मज़दूरों को भड़काते हैं तथा हेरा-फ़ेरी करते हैं।

हमने बाहर आकर थाना सेक्टर-58, फ़रीदाबाद के एसएचओ श्री नरेन्द्र कुमार को फ़ोन किया और उक्त बातें बताई। एसएचओ साहब ने विकास से बात किया। फ़िर आईओ विकास ने हमें बताया कि एक घायल मज़दूर मुनेश्वर प्रसाद के बयान पर एफ़आईआर दर्ज की गयी है । उसने कम्पनी के फ़ोरमैन तथा कम्पनी को चाय बेचने वाले का मोबाइल नम्बर भी दिया।

हम लोग थाने से निकल कर सीधे बल्लबगढ अस्पताल पहूंचे। वहां इमरजेंसी के रजिस्टर से पता चला कि एक घायल मज़दूर मुनेश्वर इमरजेंसी वार्ड में है। वहां उसकी मदद करने के लिये कम्पनी का ही एक मज़दूर साथी मौजूद था। मुनेश्वर से कुछ बातें करनी शुरू ही कर रहे थे कि घायल की आंखों से पानी बहने लगा। उसके जेहन में सिलेन्डर ब्लास्ट की पूरी तस्वीर उतर आयी। उसने रोते हुये कहा कि डॉक्टर लोग हमारा इलाज यहां पर ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमें दूसरे लोग यहां पर भर्ती करा कर चले गये थे। पुलिस रात में एक बार यहां आई थी और बयान लेकर चली गयी। उसके बाद कम्पनी मालिक और पुलिस का कोई भी आदमी हमारी सहायता करने नहीं आया । हमारा इलाज हो रहा है कि नहीं, हमें खाना मिल रहा है कि नहीं यह जानने के लिये किसी की गर्ज नहीं है। उसने बताया कि श्रम विभाग से एक लेबर इन्स्पेक्टर आया था वह हमें खाने के लिये रोटी देकर चला गया। मुनेश्वर का बदन कांप रहा था और आंखें डबडबाई हुई थीं। हमने देखा कि उसके बायें पैर के घुटने के ठीक ऊपर लोहे का टुकड़ा लगने से मांस फ़ट गया था तथा उंगलियों में 8-8 टांके लगे हैं। गिरने से पीठ की और पसलियों में गम्भीर गुम चोट लगी है।

सिलेन्डर ब्लास्ट बारे में उसने जो बताया वह इस प्रकार है। शाम साढे सात बजे ऑक्सीजन भरते समय सिलेन्डर जोरदार धमाके के साथ फ़टा और उसमें आग लग गयी। काम करने वाले मज़दूरों को कुछ समझ में आता इससे पहले धमाके ने अपना काम कर दिया। फैक्ट्री के अन्दर घनघोर धुआं छा गया। चारो ओर चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बस्ती के लोग, आस-पास काम करने वाले मज़दूर व राहगीर कम्पनी की ओर भाग कर आये। मनोज कुमार झा उम्र 45 तथा निर्मल उम्र 30 वर्ष नामक दो मज़दूर गम्भीर चोट लगने तथा आग से झुलसने के कारण मौत के मुंह में समा चुके थे। भुनेश्वर सहित तीन अन्य मज़दूर घायल हो गये थे। दूसरे लोगों ने एक कार वालों की मदद से बल्लभगढ अस्पताल पहुंचाया। घटना के समय मौजूद कम्पनी का पार्टनर ऋषिदेव शर्मा वहां से भाग गया। भुनेश्वर ने बताया कि दो मज़दूरों को मामूली चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी।

उसने बताया कि कम्पनी 20 नवम्बर 2017 को चालू हुई थी। वह 21 नवम्बर 2017 से कम्पनी में काम कर रहा है। कम्पनी में 5 तरह की गैस ऑर्गन गैस, ऑक्सीजन, नाईट्रोजन, कार्बन डाईऑक्साईड तथा मिश्रित गैस लम्बे पतले सिलेन्डरों में रिफिलिंग कर बाजार में सप्लाई की जाती है। उसने बताया कि 20-20 टन क्षमता वाले बड़े-बड़े टैंकड़ों में भर कर बाहर से गैस आती है। गैसों को कम्पनी के अन्दर बने टैंकों में भरा जाता है तथा टैंकों से फिलिंग स्टेशन अथवा फिलिंग मशीन के माध्यम से छोटे सिलेन्डरों में भरकर अस्पतालों होटलों आदि में सप्लाई की जाती है।

कम्पनी में लगभग 30 वर्कर काम करते हैं। जिनमें 8 फिलर (कारीगर), एक फ़ोरमैन, एक सुपरवाइजर तथा बाकि सब हेल्पर का काम करते हैं। किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जाता है। किसी को भी हेल्मेट, जूता तथा वर्दीमॉस्क इत्यादि नहीं दी जाती है। फ़िलरों को 11000 रुपये से नीचे ही वेतन दिया जाता है जबकि हेल्पर को 8000 रुपये का न्यूनतम ग्रेड भी नहीं दिया जाता है। कम्पनी मालिक सभी वर्करों से ईएसआई व पीएफ़ का अंश काट लेते हैं किन्तु पेस्लिप नहीं देते हैं। मज़दूर ईएसआई में इलाज कराने नहीं जाते हैं। मुनेश्वर का ईएसआई है। किन्तु वह ईएसआई अस्पताल में नहीं गया। उसने बताया, क्योंकि, मालिक लोग भागे हुये है, हमें कोई ईएसआई अस्पताल नहीं ले गया।

उसने आगे बताया, मृतक मज़दूर मनोज कुमार झा उम्र 45 अपने परिवार के साथ सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ में रहता था। उसके छोटे-छोटे तीन बच्चे हैं। दूसरा मृतक निर्मल उम्र 30 तथा मुनेश्वर कम्पनी में बने एक कमरे में ही रहते थे। दोनों भागलपुर बिहार से हैं। निर्मल की शादी अभी छ: महीने पहले ही हुई थी। 6 नवम्बर को घर जाने के लिये रिजर्वेशन करा रखा था। भुनेश्वर का परिवार भी गांव में ही रहता है। उसके भी छोटे-छोटे दो बच्चे हैं।

दुर्घटना के बारे में पूछने पर उसने बताया कि कम्पनी लगभग 1000 वर्ग मीटर में स्थित है किन्तु काम के हिसाब से यह छोटी जगह है। चारो ओर सिलेन्डर रखे रहते हैं। पांच तरह की गैसों के लिये अलग-अलग सिलेन्डर होते हैं। कम्पनी में चार फ़िलिंग स्टेशन है। फिलिंग स्टेशन दूर-दूर होने चाहिये किन्तु कम जगह होने के कारण स्टेशन पास-पास हैं। पास-पास फ़िलिंग स्टेशन होने के कारण सिलेंडरों के आपस में मिल जाने का खतरा रहता है। काम का दबाव ज्यादा होने से मज़दूर अक्सर तनाव में रहते हैं। दुर्घटना वाले दिन नाईट्रोजन गैस वाला सिलेन्डर जिसमें एक तरह का ऑयल होता है, ऑक्सीजन वाले फिलिंग स्टेशन पर आ गया। सिलेन्डरों में गैस तेजी से भरी जाती है। नाईट्रोजन वाले सिलेन्डर में ऑयल था जब उसमें ऑक्सीजन गैस भरी जा रही थी तो इसी दौरान सिलेन्डर फट गया।

कम्पनी के चार पार्टनर हैं। उनके नाम क्रमश: श्रवण चौधरी, ऋषिदेव शर्मा, सीताराम शर्मा, तथा अश्वनी हैं। ये चारों कम्पनी खोलने से पहले दूसरी अलग-अलग 2 कम्पनियों में स्टॉक में काम करते थे। इन्होंने जुगाड़बाज़ी कर कम्पनी खोली है। एक साल के अन्दर इन्होंने बहुत सा धन कमाया है। श्रम विभाग, ज़िला-प्रशासन व स्थानीय विधायक की क्या भूमिका रही?

31 अक्तूबर को ही दिन में बड़खल के एसडीएम व स्थानीय विधायक नागेन्द्र भड़ाना के साथ कम्पनी पर गये थे। खुद एसडीएम ने सबके सामने बताया कि कम्पनी अवैध ज़मीन पर बनी है किन्तु यह भी बताया कि कम्पनी मालिकों ने लाइसेंस भी ले रखा है। कम्पनी रिहायशी एरिया में बनी है। स्थानीय विधायक नागेन्द्र भड़ाना लीपा-पोती करते नज़र आये।

मिली तमाम जानकारी और तथ्यों के आधार के अनुसार कम्पनी के मालिकों ने कायदा कानूनों को ताख पर रख कर मज़दूरों को बगैर सुरक्षा उपकरण दिये मनमाने तरीके से कम्पनी चला रहे थे। और दुर्घटना हुई तो वहां से भाग खड़े हुये।

कम्पनी मालिकों के लिये मज़दूर इन्सान नहीं बल्कि फैक्ट्री की मामूली मशीन अथवा पूर्जा मात्र हैं जिसके मरने पर बतौर नई मशीन किसी अन्य बेरोजगार मज़दूर को लाकर खड़ा कर दिया जाता है।

3 नवम्बर को एसएचओ नरेन्द्र सिंह ने पूछने पर बताया कि मालिकान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2)व 34 के तहत नामजद एफ़आईआर नम्बर 664 दर्ज कर ली गयी है। फ़रार मालिकान के तलाश जारी है। एसएचओ ने यह भी बताया कि दोनों मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख नकद व 6-6 लाख के चैक अन्तिम संस्कार से पहले दिला दिये गये हैं।

शोक सभा

फ़रीदाबाद, 2 नवम्बर ऑर्गेनिक एयर गैसेज प्रा.लि.गली नम्बर 6 कृष्णा कॉलोनी में ऑक्सीजन सिलेन्डर फ़टने से दो मज़दूरों की मौत को याद करते हुये इस्ट इंडिया कर्मचारी यूनियन सैक्टर 24 के ऑफ़िस में उल्फ के प्रधान सोहन लाल की अध्यक्षता में शोक सभा की गयी। वर्कमेन आर्गनाईजेशन आन लीग फ्रंट द्वारा की गयी सभा में मृतक मज़दूरों के प्रति दुख प्रकट करते हुये दो मिनट का मौन रखा गया। सभी प्रतिनिधियों ने मृतक मज़दूरों के परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुये गहरी संवेदना प्रकट किया।

शोक सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें उक्त कम्पनी में घटी दुर्घटना के लिये कम्पनी मालिकों श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। अवैध ज़मीन पर बनी कम्पनी कानूनों को धता बताते हुये चल रही थी। मज़दूरों के जान से खेलने वाली कम्पनी मालिकोंश्रम विभाग व पुलिस प्रशासन के घटिया व्यहार की घोर निंदा की गयी। प्रस्ताव में मांग की गयी कि श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन सभी कम्पनियों में मज़दूरों के जीवन की रक्षा के लिये समुचित इन्तजाम करें।